**विविध बैंक प्रकरण संख्या 99/2019 (RCMS 2019/00180) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा श्रीगंगानगर बनाम 1. मैसर्स न्यू महेन्द्रा फुटवियर – प्रो. श्री राजकुमार महेन्द्रा पुत्र श्री सतलाल महेन्द्रा, निवासी मकान नं. 9, गली क्र. 3, वार्ड नं. 48, खटीक मोहल्ला; बीरबल चौक, श्रीगंगानगर 2. राजकुमार महेन्द्रा पुत्र संतालाल महेन्द्रा निवासी मकान नं. 9, गली नं. 3, वार्ड नं. 48 खटीक मोहल्ला, बीरबल चौक श्रीगंगानगर**

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**10.02.2020**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री तेजा सिह उपस्थित थे। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पूर्व में दिनांक 03.02.2020 को सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन था कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 07.08.2019 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण मै. न्यू महेन्द्र फुटवियर–प्रो. राजकुमार एवं राजकुमार को ऋण सुविधा के रूप में 9.00 लाख रूपये(अखरे रूपये नौ लाख मात्र) का ऋण दिनांक 23.08.2016 स्वीकृत किया था और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी राजकुमार ने अपनी अचल सम्पत्ति आहता नं. 09 (क्षेत्रफल 1102 वर्गफुट), गली नं. 3, वार्ड नं. 48, खटीक मोहल्ला, बीरबल चौक श्रीगंगानगर में स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थीगण द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 27.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 16.01.2019 को 9,62,781/– रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिवस का रजिस्टर्ड एडी नोटिस दिनांक 17.01.2019 को उक्त बकाया राशि जमा करवाने का जारी किया गया। धारा 13(2) के 60 दिवस के नोटिस अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

देने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए अप्रार्थी ऋणी राजकुमार द्वारा ऋण की सुरक्षा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी राजकुमार की उक्त अचल सम्पत्ति आहता नं. 09(क्षेत्रफल 1102 वर्गफुट), गली नं. 3, वार्ड नं. 48, खटीक मोहल्ला, बीरबल चौक श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

**मैनें पत्रावली** में उपलब्ध प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र धारा 14 एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण ऋणियों मै. न्यू महेन्द्र फुटवियर –प्रो. राजकुमार एवं राजकुमार को 9.00/–लाख रूपये (अखरे रूपये नौ लाख मात्र) की ऋण राशि की स्वीकृति 23.08.2016 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में राजकुमार की अचल सम्पत्ति आहता नं. 09(क्षेत्रफल 1102 वर्गफुट), गली नं. 3, वार्ड नं. 48, खटीक मोहल्ला, बीरबल चौक श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी है। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 27.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणीं को धारा 13(2) का नोटिस दिनांक 17.01.2019 को जारी किया गया है एवं धारा 13(2) का नोटिस अप्रार्थी मै. न्यू महेन्द्रा फुटवियर को रजिस्टर डाक से भिजवाया गया है, जिसकी प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है एवं अप्रार्थी राजकुमार महेन्द्रा के स्वयं के हस्ताक्षरशुदा धारा 13(2) के नोटिस की प्रति पेश की है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार अप्रार्थी राजकुमार महेन्द्रा ने दिनांक 12.03.2019 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया है, जिसका कोई जवाब प्रार्थी बैंक ने नहीं दिया है। प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 8 में कांट छांटकर अप्रार्थी ऋणी द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होना अंकित किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त भूमि जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर होनी आवश्यक है।**

**जहां तक ऋण की एवज** में प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गयी अचल सम्पत्ति आहता नं. 09(क्षेत्रफल 1102 वर्गफुट), गली नं. 3, वार्ड नं. 48, खटीक मोहल्ला, बीरबल चौक श्रीगंगानगर जो राजकुमार के नाम से है, का संबध है, उक्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा चाहा जा रहा है **वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है।** इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

**जहां तक धारा 13(2) के जारी** नोटिस 17.01.2019 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बैंक द्वारा दिनांक 17.01.2019 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) का जारी नोटिस पर अप्रार्थी ऋणियों मै. न्यू महेन्द्रा फुटवियर एवं राजकुमार के नाम जारी किये गये है। मै. न्यू महेन्द्रा फुटवियर –प्रो. राजकुमार को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने की रसीद एवं प्राप्ति स्वरूप पोस्ट ऑफिस के ऑन लाईन ट्रेक कन्साईन्मैंट की प्रति पेश की है तथा अप्रार्थी राजकुमार के धारा 13(2) के नोटिस पर स्वयं के हस्ताक्षर है। जिसके अनुसार अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है। अप्रार्थी ऋणी ने दिनांक 12.03.2019 को शाखा प्रबन्धक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, श्रीगंगानगर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसका

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

कोई जवाब प्रार्थी बैंक ने नहीं दिया है और प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के बिन्दु संख्या 8 में कांट छांट की गई है और अंकित किया है कि ऋणी/जमानती की ओर से दिनांक 17.01.2019 को मांग नोटिस के जवाब में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत अप्रार्थी ऋणी द्वारा नोटिस धारा 13(2) के दिये गये अभ्यावेदन पर प्रार्थी बैंक को विचार करके उसे प्रतिउत्तर दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रकार प्रार्थी बैंक द्वारा इस तथ्य का छिपाव किया गया है। इसलिए प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

**अतः प्रार्थी सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, श्रीगंगानगर** का उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 07.08.2019 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और **प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 खारिज किया जाता** है। प्रार्थी बैंक नये सिरे से **पुनः अप्रार्थीगण के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 10.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

**(शिवप्रसाद एम. नकाते)**
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर